

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प खोटिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खोटिया व भू.अ.नि. टांटा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 210 नया 39 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खोटिया रहन व कम्प प्रविष्टि अभावत	210 नया 39 पुराना	केशर देव, शैतानाराम शुभकरण शिवाराम पुत्रगण समस्त गणपत समस्त सा. फदनपुरा	केशर देव, शैतानाराम, शुभकरण, शिवाराम पुत्रगण समस्त गणपत समस्त रसूलपुर

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

2655

प्रतिलिपि:-

14.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री केशर देव शैतानाराम को सूचना है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

3. रक्षित पत्रावली।

खूलपुर

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

Entered 110
14.6.18

14.6.18